मातृ स्वास्थ्य के लिए सामाजिक जवाबदेहिता*

सुमा – राजस्थान सुरक्षित मातृत्व गठबंधन** के प्रयास

टिकाऊ विकास लक्ष्य 3 : सभी के लिए, हर उम्र में स्वस्थ जीवन और कल्याण को प्रोत्साहन

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन (2012-17) का एक महत्व पूर्ण लक्ष्य है मातृ और नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना। मिशन का लक्ष्य, सभी को समानतापूर्ण सस्ती / निःशुल्क, क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जो लोगों की जरुरत के अनुसार हो और जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। स्वास्थ्य की सर्वोच्च कक्षा की प्राप्ति में लोगों की सक्रीय भागीदारी तथा सभी प्रक्रियाओं और मंचों में पारदर्शिता और जवाबदेहीता, मिशन के मूल्यों में हैं।

'सुमा' राजस्थान सुरक्षित मातृत्व गठबंधन द्वारा वर्ष 2013 से मातृ स्वास्थ्य के लिए सामाजिक जवाबदेहीता हेतू ग्यारह जिलों के 83 गाँवो में कार्यक्रम चलाया गया। ये जिले हैं डुंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, राजसमन्द, चितौड़गढ, करौली, झालावाड़, बाराँ, झुन्झुनु और टोंक।

महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के अनुभव जानने के लिए एक हजार से अधिक गर्भवती और धात्री महिलाओ के साथ चर्चा की गई। महिलाओं ने बताया कि वे सेवाएँ लेने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाती है। उन्हें टीके लगाए जाते हैं, पोषाहार मिलता है, जाँचे भी होती है, जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी मिलता है। साथ ही उन्होंने बताया की कई बार सेवा देने वाले उपस्थित नहीं रहते, उनके साथ भेदभाव होता है, डाँट डपट होती है, जानकारी नहीं दी जाती, समय पर एम्ब्युलन्स नहीं आती और फीस / इनाम की मांग की जाती है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा राजस्थान मेडीकेर रीलीफ सोसायटी / रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के साक्षात्कार से इन समितियों के कार्य की जानकारी ली गई। वर्ष 2013 में हुई ग्राम सभा तथा उसमें मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर लिए गए निर्णयों की जानकारी ली गई। जवाबदेहीता के इन तीनों मंचो को सुदृढ़ करने की जरुरत महसूस हुई।

समिति के सदस्यों तथा संस्था के प्रतिनिधियों की टीम बनाई गई तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा देय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी एकत्रित की गई। इस जानकारी के आधार पर रीपोर्ट कार्ड तैयार किया गया अग्रीमता के मुद्दों की पहचान के लिए महिलाओं / परिवारों से दुबारा चर्चा की गई।

उन मुद्दों को ग्राम सभा, आरएमआरएस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रयास से ग्राम सभा और राजस्थान मेडीकेयर रीलीफ सोसायटी / रोगी कल्याण समिति के द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए। इन दो मंचो द्वारा किए गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है।

मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर ग्राम सभाओं में पैरवी

''परम्परागत रूप से, ग्राम सभा/वार्ड सभा के दौरान सरपंच/उप-सरपंच/वार्ड पंच जिस हतई (चबूतरा) पर बैठते हैं उसे छूने तक की इजाजत महिलाओं को नहीं होती । ग्राम सभा में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने सरपंच से चर्चा की । परिणाम स्वरुप, गोलीपुरा गाँव (रिन्डलिया पंचायत, टोंक जिला) में आयोजित वार्ड सभा के दौरान वार्ड पंच ने महिलाओं को पंचों और अन्य पुरुष सदस्यों के साथ हतई पर बैठने और मातृ स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया । कुछ दिनों के बाद आयोजित रिन्डलिया ग्राम सभा में गाँव के पुरुषों के साथ लगभग सौ महिलाएं भी शामिल हुईं और मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर चार प्रस्ताव दिए, जिसे ग्राम सभा ने पारित कर दिया । इनमे से एक प्रस्ताव-उप स्वास्थ्य केंद्र को दो गाँव से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ।''
(श्री भंवरलाल सैन, सुमा साथी-टोंक जिला)

''मादला ग्राम सभा (झाडोल, उदयपुर) में मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर पांच प्रस्ताव पारित कर उन पर कार्रवाई की गई । इनमे से एक प्रस्ताव जामुन उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव कक्ष के निर्माण के लिए था । ग्राम पंचायत ने इस पर तुरंत कारवाई की और पंचायत समिति द्वारा प्रसव कक्ष के निर्माण के लिए बजट आबन्टित किया गया । उपकेंद्र में प्रसव कक्ष का निर्माण कार्य शुरु हो गया है । ग्राम सभा में दिए गए अन्य चार मातृ स्वास्थ्य प्रस्तावों पर भी काम हो गया हैं।'' (श्री नरेश मादावत, सुमा साथी-उदयपुर जिला)

भारत में पंचायती राज संस्था स्थानीय स्व-शासन की एक त्री-स्तरीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सत्ता का लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज संस्था की बुनियाद ग्राम सभा पर टिकी हुई है। ग्राम सभा,उस ग्राम पंचायत के मतदाताओं को स्थानीय स्तर पर विकास की योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन और शासन संबंधित निर्णय लेने में भागीदारी का मंच है।

राजस्थान के 11 जिलों – टोंक, डुंगरपुर, करौली, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमन्द, झुनझुनु, जोधपुर और उदयपुर के कुल 31 ग्राम पंचायतों के बेसलाइन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान इन पंचायतो में कुल 42 ग्राम सभाएं आयोजित हुई। इनमे से किसी भी ग्राम सभा में मातृ स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई और न ही इनमे महिलाओं की भागीदारी थी। अध्ययन क्षेत्र के कुल 210 वार्ड में से केवल छह वार्डों में वार्ड सभा हुई थी लेकिन इनमे भी मातृ स्वास्थ्य के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। ग्राम सभा/वार्ड सभा बिना गणपूर्ति (कोरम) के ही संपन्न हो जाती थी।

सुमा – राजस्थान सुरक्षित मातृत्व गठबंधन ने राज्य के ग्यारह जिलों में ग्राम सभाओं के नियमित आयोजन के लिए, उनमे महिलाओं की भागीदारी के लिए, मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा एवं प्रस्ताव देने का बीडा उठाया। मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर ग्राम सभा में पैरवी करने के लिए चेतना द्वारा ग्यारह साथी संस्थाओं का क्षमतावर्धन किया गया।

ग्राम सभा की तारीख तय करने इसके आयोजन तथा सभा के एजेंडा में मातृ स्वास्थ्य के विषय को शामिल करने के लिए सुमा साथी संस्थाओं द्वारा पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पैरवी की गई। गाँव स्तर पर, विशेषकर महिलाओं के साथ, बैठकें की गई। इन बैठकों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर नागरिक रिपोर्ट कार्ड को लोगों के बीच रखकर मुद्दों की प्राथमिकता तय की गई। ग्राम सभा में भाग लेकर इन मुद्दों पर प्रस्ताव के लिए गाँव के लोगों विशेषकर महिलाओं की क्षमता बढ़ाई गई। प्रस्तावों को लिखने के लिए गाँव की महिलाओं को साथी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहायता की। परिणामस्वरूप, पहली बार महिलाओं ने ग्राम सभाओं में भाग लेकर मातृ स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की। लिखित प्रस्ताव दिए गए। इनमे से अधिकतर प्रस्ताव जन स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं (मूलभूत सुविधा, मानव संसाधन/सेवा प्रदाता, दवाइयां और उपकरण आदि) और इन केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के मुद्दों पर थे।

परिणाम

तीन सालों की अवधि में कई कदम उठाए गए जो जवाबदेहिता में वृद्धि दर्शाते हैं :

- उपखंड विकास अधिकारी द्वारा मातृ स्वास्थ्य को एजेन्डा में शामिल करने हेतू तथा ग्राम सभा आयोजित करने हेतू आदेश जारी किए गए।
- महिलाएँ ग्राम सभा में उपस्थित होकर स्वास्थ्य संबंधित प्रस्ताव देने लगी हैं जिनपर कारवाई हो रहे हैं।
- ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्य हुआ है – आँगनबाड़ी की मरम्मत हुई है, आशा की पहचान हुई है, प्रसव कक्ष बना है आदि।
- वर्ष 2015 के अगस्त माह में 8 जिलों की में पंचायतो कुल 13 ग्राम सभाएँ हुई। इन सभाओं में लगभग 300 महिलाओं की भागीदारी हुई। मातृ स्वास्थ्य सम्बंधित कुल 10 नए प्रस्ताव दिए गए हैं और वर्ष 2014 के प्रस्तावों, का फॉलो–अप किया गया। (स्रोतः साथी संस्थाओं से प्राप्त सूचना)

पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भारत के संविधान की मान्यता प्राप्त हैं। कार्यक्रम / नीती के संचालन में लोगों की भागीदारी तथा आवाज़ शामिल करने के लिए ग्राम सभा एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक मंच है। इसे सक्रीय करने में समुदाय तथा प्रशासनिक ढाँचे के स्तर पर लगातार प्रयास करने की जरुरत है।

राजस्थान मेडीकेयर रीलीफ सोसायटी/आरएमआरएस की सक्रीयता

''भूला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिरोही, जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से हुआ है, के रोगी कल्याण समिति / मेडीकेयर रीलीफ सोसायटी, आर.एम.आर.एस. की सदस्यता के लिए हमें आमंत्रित किया गया । हम लोगों ने चेकलिस्ट के उपयोग से पी.एस.सी. केन्द्र की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया । इसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया जिसमे पी.एच.सी. की अच्छाइयों और कमियों को दर्शाया गया था । हमलोग पंचायत समिति से फॉलो-अप करते रहे और अंत में पी.एच.सी. के नए भवन के निर्माण के लिए धनराशि आबंटित कर दी गई । हमलोग नियमित रूप से बैठक करते हैं और इसमें पी.एच.सी. भवन निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान के चयन के लिए कदम उठाए गए हैं।'' (आरएमआरएस सदस्य)

''इस्लामपूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव कक्ष के लिए एन आर एस सदस्यने पहल की और दस लाख का अनुदान प्राप्त कर नियमानुसार प्रसव कक्ष बनवाया है । '' (आरएमआरएस सदस्य)

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 1997 में जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आरएमआरएस का गठन किया गया था । स्वास्थ्य केन्द्र की कार्यप्रणाली में नागरिकों की भागीदारी हेतू यह महत्वपूर्ण मंच है। ''सुमा'' द्वारा राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस) को मजबूत बनाने की पहल की गई, ताकि राज्य के 11 जिलों के 19 स्वास्थ्य केन्द्रों की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। ये जिले हैं- डुंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बारां, राजसमन्द, चित्तौरगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली एवं टोंक।

वर्ष 2013 मे 11 जिलों के 19 आरएमआरएस में सिर्फ दो की नियमित बैठकें होती थी; आठ आरएमआरएस के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों के दौरे किए जाते थे, केवल 17/70 सदस्यों ने कहा कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में उनका प्रशिक्षण किया गया था ।

''सुमा'' की इस पहल के तहत, आरएमआरएस को मजबूत करने की प्रक्रिया में शामिल हैं – इन समितियों का मैपिंग करना; स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के आकलन में आरएमआरएस सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना; केन्द्र द्वारा देय मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छाइयों और कमियों को दर्शाने वाला नागरिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना; आरएमआरएस सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर ब्लाक के सभी केन्द्रों की आरएमआरएस का आमुखीकरण और सतत मार्गदर्शन करना ।

चेतना द्वारा आरएमआरएस सदस्यों के लिए एक किट भी तैयार की गई, जिसमे सम्मिलित थे-

i) आरएमआरएस पर राजस्थान सरकार के दिशानिर्देश/ नियमावली,

ii) सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा देय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ।

iii) सामाजिक जवाबदेहिता के साधन और स्वास्थ्य सेवाओं के आकलन के लिए चेकलिस्ट ।

iv) आमुखीकरण के अंत में सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उन्हें प्रेरित करने के लिए मातृ स्वास्थ्य पर एक टेबल कैलेन्डर ।

आरएमआरएस को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया के परिणाम:

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आरएमआरएस गाईडलाईन प्रकाशित की गईं और केन्द्रों पर पहुँचाई गई।
- उन्नीस मे से पन्द्रह आरएमआरएस के सदस्यों की बैठकें होने लगी।
- बारह आरएमआरएस द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी शुरू की गई। सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसव कक्ष और प्रसूति वार्ड के दौरे होने लगे।
- नौ आरएमआरएस के सदस्यों की सूची केंद्र पर प्रदर्शित कर दी गई।
- दस आरएमआरएस द्वारा सुविधाओं के आकलन से उभरी कमियों पर कार्रवाई की गई।
- ग्यारह आरएमआरएस में स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि को सदस्यता दी गई।
- तेरह आरएमआरएस द्वारा केन्द्र के सुधार हेतु कार्यवाही की गई।

आरएमआरएस के साथ कार्य करने में आई कुछ चुनौतियाँ थी:

i) आरएमआरएस नियमावली/ दिशानिर्देशों का आसानी से उपलब्ध नहीं होना।

ii) उसके बारे में सदस्यों में जानकारी की कमी, जिसे दूर करने के लिए काफी समय और प्रयास जरुरी बने।

iii) चिकित्सा अधिकारियों के ट्रान्सफर होने से आरएमआरएस सदस्यों का बार–बार आमुखी करण।

iv) सदस्यों में रूचि की कमी, अपर्याप्त क्षमता।

v) कुछ स्थितियों में सदस्यों के बीच सत्ता संतुलन नहीं होने से उनके बीच टकराव की स्थिति भी आई।

जन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में लोगों की भागीदारी जरुरी है। यदि पर्याप्त संसाधन (गतिविधियों को सहज करने, मार्गदर्शन देने आदि का लागत), नेतृत्व और प्रशासनिक सहायता प्राप्त हो तो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए ग्राम सभा में पैरवी तथा आरएमआरएसको सुदृढ़ करने की यह पहल राजस्थान के अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और दूसरे राज्यों में भी दोहराई जा सकती है।

★ कार्यक्रम संचालन व लेखन : वैद्य स्मिता बाजपाई, स्टेट कोर्डीनेटर सुमा एवं प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, चेतना, अहमदाबाद
सहयोग : संजय सिन्हा, चेतना टीम

★★ चेतना द्वारा वर्ष 2002 में सुमा–राजस्थान सुरक्षित मातृत्व गठबंधन की शुरुआत राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए कार्य करने, जागरूकता बढ़ाने और पैरवी करने के उद्देश्य से की गई और तब से चेतना सुमा सचिवालय के रूप में कार्य कर रही है। यह पहल महिला स्वास्थ्य अधिकार पैरवी भागीदारी – दक्षिण एशिया, तथा व्हाइट रीबन एलायन्स इन्डिया की साथी संस्था के रूप में की गई।

★★★ सुमा साथी संस्था: ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (जी.वी.पी.एस.) – झालावाड़ और करौली; श्रृष्टि सेवा समिति – डूंगरपुर सिरोही और उदयपुर; सेवा मंदिर - उदयपुर; जतन संस्थान - राजसमन्द; सेंटर फॉर रुरल प्रोस्पेरिटी एंड रिसर्च (सी.आर.पी.आर.) -टोंक; नवाचार – चित्तौड़गढ़; ग्राम विकास विज्ञान समिति (ग्राविस) – जोधपुर; प्रयत्न –बारां; शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिति (एस.आर.के.पी.एस.) – झुंझुनू।

सुमा की स्थापना

2000-2001 के दौरान, चेतना ने राजस्थान के ७ जिलों की ११ स्वयंसेवी संस्था, राज्य संदर्भ केन्द्र, राज्य साक्षरता समिति, युनिसेफ, केयर, युएनएफपीए, डबल्युएफपी, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान महिला कमिशन तथा समाचार पत्र के साथ सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया।

15-17 फरवरी 2002 के दौरान, चेतना तथा साथी संस्थाओं द्वारा आयोजित विकास मेले में 17 फरवरी 2002, बसंत पंचमी के शुभ पर्व पर करीब 100 प्रतिनिधियों के समक्ष सुमा राजस्थान सुरक्षित मातृत्व गठबंधन, प्रांतीय व्हाईट रीबन एलायन्स की शुरुआत हुई। चेतना ने गठबंधन के सचिवालय की जिम्मेदारी ली।

सुमा का लक्ष्य: राजस्थान में मातृ मृत्यु तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कार्य करना।

सुमा के उद्देश्य: सुरक्षित मातृत्व प्राप्त करने हेतु कानून, नीतियों व कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन के लिए पैरवी करना।

सुरक्षित मातृत्व की समस्याएँ व कार्यनीति के बारे में समुदाय के विभिन्न पात्रों में जागृति लाना।

सदस्यों के मध्य 'सुमा' की समझ बनाने व संवाद को जारी रखना।

सुरक्षित मातृत्व पर व्यक्तियों व संस्थाओं की क्षमता वर्धन की व्यवस्था करना।

सुमा गठबंधन की सदस्यता: व्यक्ति व संस्थाएँ गठबंधन की सदस्य हो सकती हैं।

सुरक्षित मातृत्व पर 2-5 वर्ष के अनुभवी-शैक्षिक, विकास, शासकीय व अनुसंधान संस्थाएँ।

गठबंधन के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीति से सहमत।, भारत में मुख्यालय होना चाहिए।

फन्डामेन्टालिस्ट तथा जातिवाद से जुड़ी न हो।

चेतना के बारे मे

चेतना* सेन्टर फोर हेल्थ, एज्युकेशन, ट्रेनिंग एन्ड न्युट्रीशन अवेरनेस का संक्षिप्त रूप है। चेतना अहमदाबाद, गुजरात में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है।

चेतना की स्वास्थ्य सम्बन्धित गतिविधियों का प्रारंभ 1980 में हुआ, और संसाधन केन्द्र के रूप में स्थापना 1984 में हुई।

वर्तमान में चेतना सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं और औद्योगिक जगत के सामाजिक जिम्मेदारी में सहायक संस्था (CSR) के रूप में कार्यरत है। चेतना, स्वासथ्य कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा प्रबंधकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, तथा हिमायत के लिए क्षमतावर्धन का कार्य कर रही है। जिससे वे अपने क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों को संपूर्ण स्त्री-पुरुष समानता के द्रष्टिकोण से क्रियान्वित कर सके। आवश्यक्ता अनुसार प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक साहित्य तैयार करना चेतना की मुख्य गतिविधियाँ है। इस का राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वितरण/विक्रय किया जाता है।

सन् 2004-2014 के दौरान 'चेतना' को गुजरात राज्य एवम् दमन, दीव और दादरानगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए रिजियोनल रिसोर्स सेन्टर (आर.आर.सी.) के रूप में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई थी। अप्रैल 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार ने चेतना को 'एनजीओ सपोर्ट संस्था' के रूप में मान्यता दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं एड्स कंट्रोल सोसायटी विभाग (NACO) द्वारा गुजरात, दिव, दमण और दादरानगर हवेली एवं अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन एड्स कंट्रोल सोसायटी के 'टार्गेटेड इंटरवेनशन' कार्यक्रम में कार्यरत सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु चेतना ने 'स्टेट ट्रेनिंग एन्ड रिसोर्स सेन्टर' के रूप में अगस्त 2014 से मार्च 2016 तक भूमिका निभाई।

पिछले 35 वर्षों के अनुभवों का भौगोलिक तथा सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण विस्तारों में राज्य, राष्ट्रीय एवं आंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विस्तृत प्रसार-प्रचारको मद्देनजर रखकर चेतना द्वारा ''चेतना आउट-रीच'' का प्रारंभ किया गया है।

'चेतना' - नहेरु फाउन्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट की एक गतिविधि के रूप में आरंभ किया। जो बोम्बे पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत है।

सुमा सचिवालय

सुरक्षित मातृत्व सुमा

सेन्टर फॉर हेल्थ, एज्युकेशन, ट्रेनींग एन्ड न्युट्रीशन अवेरनेस

बी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, सुपथ-२, वाडज बस टर्मिनस के सामने, वाडज, अहमदाबाद-380 013,
दूरभाषः 079-27559976/77 फेक्सः 079-27559978 ईमेलः sumachetna@gmail.com,
chetna@chetnaindia.org वेबसाईटः www.chetnaindia.org फेसबुकः Chetna Nfd

चेतना
महिलाओं युवाओं और बच्चों के लिए समर्पित